



महात्मा गाँधी जी एवं सुलभ-तकनीकी स्वच्छता से मानवीय गरिमा की प्रतिस्थापना

डॉ. राजबहादुर जायसवाल, राजनीति विज्ञान

शासकीय महाविद्यालय रजमिलान, जिला-सिंगरौली, म.प्र.

शोध-सारांश:- गाँधी जन्म शताब्दी समारोह समिति में रहकर मैं अपने अनुभवों से जान चुका था कि जब-तक ये बाल्टीनुमा शौचालय रहेंगे, स्कैवेंजिंग के कार्य को समाप्त नहीं किया जा सकता और इससे स्कैवेंजर-वर्ग को उनके द्वारा किए जा रहे अमानवीय कार्य से मुक्ति नहीं मिल सकती। मैंने दो गड़दों वाली शौचालय-तकनीक का आविष्कार किया, जिसमें एक बार में एक गड़दे का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे गड़दे को स्टैंडबाय के रूप में रखा जाता है। डेढ़-दो साल में एक गड़दे का इस्तेमाल खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग खेती के कार्यों में किया जा सकता है। अपने शौचालय-अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्पित उद्देश्य के साथ 5 मार्च, 1970 को मैंने 'सुलभ शौचालय-संस्थान' की स्थापना की, जिसे बाद में 'सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन' नाम दिया गया। अपने कार्य और अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने सर्वप्रथम बिहार के आरा नगर-निगम कार्यालय परिसर में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया। अभी तक सुलभ के द्वारा 15 लाख से अधिक निजी शौचालयों (लोगों के घरों में) का निर्माण करवाया जा चुका है। सन् 1974 में मैंने 'भुगतान और उपयोग' के आधार पर सार्वजनिक शौचालय परिसर संचालन का विचार दिया और इसी आधार पर संस्था द्वारा देश भर में अब-तक 9,000 से अधिक सुलभ सार्वजनिक शौचालयों एवं स्नानघरों का निर्माण करवाया गया है। प्रतिदिन लगभग दो करोड़ लोग सुलभ शौचालय का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में हमें यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि विश्व के बड़े शौचालय परिसरों में हमारी संस्था द्वारा निर्मित दो शौचालय परिसर हैं -पहला, महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के पंढरपुर में भगवान् विठ्ठल- रुक्मिणी-तीर्थस्थल के पास है। यह विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक शौचालय परिसर है। इसमें 2,858 शौचालय इकाई हैं और 397 वीआई.पी. शौचालय हैं। लगभग चार लाख लोग प्रतिदिन इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, इसी तरह महाराष्ट्र के शिरडी में साईबाबा मंदिर की ठीक बगल में एक विशाल सुलभ सार्वजनिक शौचालय है, जिसमें 120 डब्ल्यू.सी., 108 स्नानघर, 28 विशेष शौच घर, 6 प्रसाधन कक्ष, मूत्रालय और तीर्थयात्रियों के लिए 2,300 लॉकर्स की सुविधा है। ये दोनों विशाल सुलभ सार्वजनिक शौचालय 'भुगतान और उपयोग' के आधार पर संचालित हैं।

शब्द बीज :- गाँधी, स्वच्छता, संचालन, सार्वजनिक शौचालय आदि।

परिचय :-सार्वजनिक शौचालय से निःसृत मानव-मल तथा अपजल के निष्पादन के लिए हमने बायोगैस-संयंत्र का भी ईजाद किया है। इसके द्वारा उत्पादित बायोगैस का उपयोग खाना बनाने, बिजली पैदा करने, बल्ब जलाने, जाड़े में आग तापने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। शौचालय में एकत्र अपजल को भी सुलभ इप्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ करने की व्यवस्था की है। सार्वजनिक शौचालय से जो पानी निकलता है, वह इस संयंत्र के द्वारा इतना साफ हो जाता है कि उसका उपयोग बागबानी तथा खेतों की उर्वरा-शक्ति बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इस पानी का बी.ओ.डी. प्रति लीटर 10 मिलीग्राम के आसपास होता है, जिसे नदियों या किसी अन्य जलाशयों में छोड़ा जा सकता है। इससे जल-प्रदूषण का खतरा भी नहीं है। संप्रति सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गनाइजेशन भारत की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। विश्व-स्तर पर सुलभ-तकनीक का प्रसार अफ्रीका के अनेक देशों में हुआ। वहां के 14 देशों-इथियोपिया, मोजाम्बिक, युगांडा, कैमरून, बुरुंडी, फासो, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल, घाना, जार्जिया, तंजानिया, कोट डी आइवरी, माली और रवांडा के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देशों में सुलभ-तकनीक आधारित शौचालयों के निर्माण के लिए सुलभ में प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमने भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशों में सुलभ

शौचालय-परिसरों का निर्माण करवाया है। सुलभ शौचालय-तकनीक को कालक्रम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव-मल के सुरक्षित निपटान के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रयोग में पहचान मिली। संस्था कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबद्ध होकर कार्य कर रही है। सुलभ शौचालय -तकनीक को कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे- यू.एन.डी.पी. , विश्व बैंक, युनिसेफ और डब्ल्यू.एच.ओ. -द्वारा जाँचा -परखा गया है, साथ ही वैश्विक स्तर पर, विशेषतः विकासशील देशों में, इसके निर्माण के लिए अनुशंसा भी की गई है। इस प्रौद्योगिकी और इसके असर को संयुक्त-राष्ट्र-विकास-योजना 'यू.एन.डी.पी.' की मानव-विकास रिपोर्ट- 2003 ने बेहतरीन माना है। मार्च, 2014 में बी.बी.सी. होराइजन्स-द्वारा आधुनिक काल में दुनिया के पाँच महत्वपूर्ण आविष्कारों में सुलभ-तकनीक को परिगणित किया गया है।

स्कैवेंजर्स का पुनर्वासन और समाज की मुख्यधारा में सम्मिलन:- पुनर्वासित स्कैवेंजर्स को सशक्त करने के प्रयास के रूप में सुलभ ने राजस्थान के अलवर एवं टोंक में नई दिशा' नामक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया, जहाँ पूर्व में स्कैवेंजिंग का काम करने वाली महिलाओं ने पढ़ाई-लिखाई, कढ़ाई-बुनाई, सिलाई, सौंदर्य-प्रसाधन तथा पापड़ -अचार - जैसे खाद्य पदार्थ बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब इनके द्वारा तैयार खाद्य पदार्थ ऊँची जाति के वे लोग भी खरीदते हैं, जो कदाचित् इनकी छाया से भी दूर रहा करते थे।

वर्ष 2008 में सुलभ द्वारा 36 ऐसी प्रशिक्षणार्थियों को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहाँ स्वच्छता के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर उन्होंने संयुक्त -राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित फैशन-शो में भाग लिया और दुनिया के प्रसिद्ध मॉडलों के साथ रैंप पर कैटवॉक किया। वहाँ उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के समक्ष घोषणा की कि अब वे अछूत नहीं हैं। विभिन्न जाति के लोगों को साथ लाने के हमारे अभियान के फलस्वरूप अब विवाह, मुंडन इत्यादि अवसरों पर दलित-वर्ग के लोग ऊँची जाति के लोगों के घर और ऊँची जाति के लोग दलितों के घर एक-दूसरे की खुशियों में शामिल होने के लिए आते-जाते हैं। देश के अंदर किसी भी मंदिर में सैकड़ों वर्षों से स्कैवेंजर्स का प्रवेश वर्जित था। हमने समाज की उस रुढ़ि को भी सविनय तोड़ा और देश के अति विशिष्ट मंदिरों में इन लोगों को ससम्मान प्रवेश दिलवाया। हमने 200 से अधिक पुनर्वासित स्कैवेंजर महिलाओं को काशी की गंगा नदी में स्नान करवाकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश के साथ-साथ स्थानीय प्रतिष्ठित पंडित -ब्राह्मण-समाज के साथ सहभोज करवाया। यही नहीं, इन पुनर्वासित महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सदभाव रखने के लिए इन्हें विंध्याचल, पुष्कर के ब्रह्मा- मंदिर, अजमेरशरीफ में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती-दरगाह और नई दिल्ली -स्थित पवित्र गिरजाघर एवं गुरुद्वारा में ले जाया गया, जहाँ इन लोगों ने पूजा-प्रार्थना की और अपने स्वार्णिम जीवन की दुआ माँगी। अब ये सभी पूर्णरूपेण सवर्ण की तरह जीवन-यापन करती हैं, पर्व-त्योहार मनाती हैं और सवर्णों के यहाँ विवाह-उपनयन-मुंडनादि सामाजिक आयोजन और यज्ञ-याजन में अन्य समागत सम्मानित अतिथियों की तरह भाग लेती हैं। सुलभ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विगत 5 अक्टूबर, 2016 को इन महिलाओं को पीले वस्त्र पहनाए और इनके 'ब्राह्मण' होने की घोषणा की। मेरा यह मानना है कि इन्हें समाज के सबसे उच्च वर्ण का स्थान देना चाहिए, ताकि धर्म-परिवर्तन का विषय ही न रहे। मुझे प्रसन्नता है कि समाज ने इनके इस परिवर्तन को स्वीकार किया है।

सुलभ पब्लिक स्कूल:- वाल्मीकि-वर्ग के बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए हम लोगों ने पटना, दिल्ली तथा अन्य जगहों पर स्कूल स्थापित किए, जिससे स्कैवेंजिंग, निरक्षरता, निर्भरता इत्यादि का विद्रूप चक्र टूट सके। नई दिल्ली के सुलभ पब्लिक स्कूल में आधे से अधिक बच्चे (60 प्रतिशत) स्कैवेंजर-परिवार के और शेष (40 प्रतिशत) अन्य जाति से पढ़ने आते हैं। इन बच्चों को यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है इन्हें पुस्तक, यूनीफॉर्म और प्रत्येक दिन मध्याह्न में मौसम के अनुकूल फल भी प्रदान किए जाते हैं। इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के साथ-साथ एक विशेषता यह भी है कि यहाँ के शौचालयों की सफाई स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर करते हैं। किसी को बाहर से साफ करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि गाँधी के आश्रम में रहनेवाले सभी लोग बारी-बारी से शौचालय की सफाई खुद ही करते थे। सुलभ-परिसर में युवक-युवतियों में कौशलवर्धन के लिए सुलभ व्यावसायिक प्रशिक्षण-केंद्र का भी संचालन किया जा रहा है। इसमें खासकर सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की युवक-युवतियों को छह मास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए विभिन्न ट्रेडों सिलाई-कटाई, कढ़ाई, आशुलिपि, टंकण, कंप्यूटर, ब्यूटी-केयर, फैशन- डिजाइनिंग, बिजली-मरम्मत इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं में कोई ऐसा कहने नहीं आया है कि उन्हें रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ बाजार की माँग के अनुरूप प्रशिक्षण-केंद्र संघर्षरत पृष्ठभूमि के युवा-वर्ग को आजीविका अर्जित करने और सार्थक जीवन-हेतु मार्ग प्रदर्शित करता है। सुलभ -द्वारा स्कूल सैनिटेशन-क्लब

की भी स्थापना की गई है। इस क्लब में अन्य गतिविधियों के साथ-साथ सामान्य सामग्री के उपयोग से विद्यालय की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन-वैडिंग-मशीन तथा इन्सिनरेटर भी लगाए गए हैं, जहाँ से छात्राएँ अपनी आवश्यकता के अनुसार सैनिटरी नैपकिन प्राप्त करती हैं और उपयोग के बाद निपटान के लिए इसे इन्सिनरेटर में डाल देती हैं, जिसमें वह आसानी से जलकर राख हो जाता है। आजादी के वक्त से ही भारत में व्यापक स्तर पर स्वच्छता की मौजूदगी का अभाव रहा है। यहाँ तक अब पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य सूचकांकों में प्रगति देखने को मिल रही थी, उस वक्त भी स्वच्छता का ग्राफ सुस्त गति से बढ़ रहा था। उस वक्त खुले में शौच के बुरे परिणामों को लेकर व्यापक स्तर पर स्वीकार्यता थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि सामाजिक परम्पराओं, सामाजिक स्तर पर पदानुक्रम और लैंगिक बंदिशों जैसी ढांचागत चीजों का असर भी स्वच्छता सम्बन्धी आदतों और स्वच्छता से जुड़े निजी निवेश पर पड़ा था। कहने का मतलब यह है कि 1970 और 80 के दशक में जब राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान से जुड़ने की गति तेज थी, उस समय स्वच्छता कवरेज की औसत विकास दर एक प्रतिशत सालाना थी इस दर के लिहाज से बात करें तो भारत को सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करने में वर्ष 2080 तक का समय लगता। व भी तब, जब जनसंख्या में और बढ़ोत्तरी नहीं हो। बहरहाल, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भारत सरकार ने स्वच्छता कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया। भारत ने 1946 में न्यूयॉर्क में विश्व स्वास्थ्य संगठन को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन को अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से पोषण, आवास, स्वच्छता, मनोरंजन, आर्थिक हालात व पर्यावरण स्वच्छता के अन्य पहलुओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने का अधिकार दिया था भारत ने सैद्धांतिक तौर पर 1977 में हुए संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन के प्रस्तावों का भी समर्थन किया था, जिसमें सभी सदस्य देशों को सुझाव दिया गया था कि वे सामुदायिक जल-आपूर्ति और प्रभावित आबादी के अनुपात में फंड का आवंटन करें। भारत ने 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पानी और स्वच्छता को मानवाधिकार से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे। हालांकि, इनमें से कुछ वादों और समझौतों को बाद में संसद ने हरी झंडी नहीं दी लेकिन इससे स्वच्छता को नियमित विमर्श का हिस्सा बनाने में मदद मिली। स्वच्छता से जुड़ा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य और सतत विकास के मौजूदा लक्ष्यों का मकसद इसी तरह का महत्वाकांक्षी ढांचा मुहैया कराना है, जिसे भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल किया है। गौरवलेब है कि ...6 का उद्देश्य सब के लिए पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। स्वच्छता की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न सरकारें पिछले 35 साल से कार्यक्रम चला रही हैं।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और इसके पुनर्गठित स्वरूप, समग्र स्वच्छता अभियान को क्रमशः 1986 और 1999 में लागू किया गया। ये कार्यक्रम केन्द्र सरकार की तरफ से शुरू किए गए थे। बल्कि, ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर अमल पर निम्न थे। समग्र स्वच्छता अभियान के तहत समुदाय आधारित गोलबंदी और शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन पर फोकस रहा है। बल्कि, इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के बाद पाया गया कि टीएससी ने काफी बड़े लक्ष्य तय किए और सीमित फंडिंग के कारण ये लक्ष्य बिखर गए। इसके अलावा केन्द्र और राज्यों के स्तर पर उस वक्त के बाकी सामाजिक कार्यक्रमों की तुलना में इस कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने के मकसद से क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए केन्द्रों की स्थापना की गई लेकिन आखिरकार जरूरी मानव संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जा सकें। ऐसा ही एक कार्यक्रम निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में शुरू किया गया, लेकिन इसके परिणाम भी काफी अच्छे नहीं रहे। बल्कि इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों खुले में शौच से मुक्त होने वाले पंचायत को वित्तीय पुरस्कार देने का घोषणा भी किया गया था इस कार्यक्रम के बाद 2012 में हर घर के लिये बड़ी वित्तीय प्रोत्साहन राशि 1000 रु. के साथ निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया। यह कार्यक्रम फंडिंग के साधनों के लिए मनरेगा और संबंधित योजनाओं पर निर्भर था। निर्मल भारत अभियान में जिला स्तर पर संमिलन पर ध्यान केन्द्रित किया गया, लेकिन फंड जुटाने में परेशान राज्य और जिला प्रमुखों की प्राथमिकता सूची में इसका नहीं होना और सुव्यवस्थित सूचना प्रणाली की कमी से यहां भी रफ्तार नहीं पकड़ सका।

शासन द्वारा संचालित स्वच्छता नीति:— कुछ स्वतंत्र आकलनों के माध्यम से पता चला कि सरकार द्वारा सिर्फ शौचालयों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किए जाने से खुले में शौच की समस्या बनी रही। यहां तक कि जिनके यहां शौचालय बने, वे भी खुले में ही शौच कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि टीएससी जैसे पुराने अभियान में सूचना शिक्षा और संचार के लिए बजट का प्रावधान तो किया गया, लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ। लेकिन, फोकस सिर्फ शौचालयों के निर्माण पर रहा और लोगों के व्यवहार

में बदलाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। बल्कि, सामाजिक कार्यक्रमों में व्यवहार सम्बन्धी बदलाव को शामिल करने से सम्बन्धित लोगों तक सीधा संदेश पहुंचता और यह ज्यादा प्रभावकारी होता है। यह बेहतर परिणामों के लिए स्थानीय समुदाय के महत्व को भी रेखांकित करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत की शुरुआत करते हुए इसमें जन आंदोलन के महत्व पर जोर दिया। यह अभियान आखिर में स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में इस तरह के पिछले प्रयासों से सीखे गए सबक भी शामिल किया गया। संबंधित **मसौदे** में ग्राम पंचायतों को अपने स्तर पर खुले में शौच से मुक्ति के लिए योजना बनाने का भी अधिकार दिया गया। ग्राम पंचायतों को व्यवहार संबंधी बदलाव के लिए प्रेरित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, इन सब के लिए खासतौर पर फंड के आवंटन की भी बात की गई। माँग और आपूर्ति के असंतुलन को भी दूर करने के लिए ग्राम पंचायतों को स्थानीय प्रशिक्षित राजमित्री के साथ काम करने को कहा गया, ताकि शौचालयों के निर्माण से जुड़ी माँग को पूरा किया जा सके। अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों को कोई भी फंड उपयोग करने को कहा गया। इसके तहत सफाई संबंधी सेवाओं के लिए 14वें वित्त आयोग के आवंटन का भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का ढांचा इस तरह से तैयार किया गया, जिसमें कार्यान्वयन के स्तर पर ज्यादा स्वतंत्रता थी।

इसमें कुछ अन्य बातें भी शामिल थी -

- पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री द्वारा मजबूत सार्वजनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन। पर्याप्त फंडिंग, जिसके जरिये 10 करोड़ घरों को जरूरी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।
- अभियान का दायरा बढ़ाने के लिए जरूरी गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से जिला पर सरलता। इसके तहत रचनात्मक और स्थानीय स्तर पर जरूरी पहल की इजाजत दी गई, खासतौर पर समुदायों को बड़े पैमाने पर गोलबंद करने के मकसद से व्यवहार संबंधी बदलाव से जुड़ा अभियान।
- शौचालयों के निर्माण आदि में वित्तीय निवेश का अनुपात बेहतर करना, जबकि सामुदायिक स्तर पर परिणाम हासिल करने के मकसद से सॉफ्टवेयर व्यवहार संबंधी बदलाव के प्रचार-प्रसार में जवरदस्त निवेश।
- स्वच्छता प्रक्रिया में सामुदायिक तोर-तरीकों का इस्तेमाल करना, इससे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आईं मसलन खुले में शौच को लेकर घृणा।
- कार्यक्रम में महिलाओं की बढ़चढ़ कर भाग लेने वाले घरों और अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्राथमिकता दी गई। उनका विशेष तौर पर जिक्र किया गया और संबंधित दिशा-निर्देशों में प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया।

संदर्भ स्रोत –

1. अक्षय राऊत (2018) स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी, योजना वर्ष 62, अंक 11, पृ. 52-53
2. <http://swachhbharatmission.gov.in/swachhsamiksha/index.aspx>.
3. अक्षय राऊत (2018) स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी, योजना वर्ष 62, अंक 11, पृ. 55-56
4. पूर्व कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद। यह लेख 'इन द फुटस्टेप्स ऑफ महात्मा' किताब पर आधारित एम.के. गाँधी, 195 आश्रम ऑब्जरवेसस इन एक्शन, वालजीगोविंदजी देसाई द्वारा गुजराती से अनुवाद, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदाबाद पृ. 149-511 इसे यहां भी देखा जा सकता है। www.gandhiheritageportal.org
5. गाँधी एण्ड सैनीनेशन, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार 2016 पूरी रिपोर्ट के लिए देखें <https://www.sundayguradiancore.com/uews112448-over-300manual.scacengers-adied2017>
पूरी रिपोर्ट के लिए देखें
–<https://indianexpress.com/article/53000-manualscavengers-in12-states-pour-fold-Hse-fromast-officialcount-52//8032/>

6. पीएच एफ भाई : (2015) इंडिया हेल्थ रिपोर्ट – न्यूट्रीशन 2015 पी एच एफ आई
<https://www.transformnutrition.org/wp-content/uploads/sites/312015112/india-HEALTHREPORT-NUTRITION-2015For-webopadf>
7. <https://mdla15in/sites/default/files/UUICEF-ECONOMIC-impacted-study.pdf>.

Global Axis International Journal of Multidisciplinary Studies